**सम्पत्ति को पेश करने के लिए प्रतिभूति**

**(आदेश XX VII, नियम 5)**

यतः ऊपर वाद में वादी................. की प्रेरणा हक पर...................प्रतिवादी को पेश करने हेतु ..........रुपये की एक धनराशि में प्रतिभूति देने के लिए न्यायालय द्वारा तथा संलग्न की गयी इसके साथ अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गयी सम्पत्ति को न्यायालय के व्ययन पर रखने का निर्देश दिया गया है।

अतएव, मैं.................. स्वैच्छिक तौर पर प्रतिभू हो गया हूं और एतद्द्वारा कथित न्यायालय से स्वयमेव को, अपने वारिसों एवम् निष्पादकों को आबद्ध करता हूं, कि कथित प्रतिवादी न्यायालय के व्ययन पर पेश करेगा और रखेगा, जब कभी अपेक्षा की जाय तो अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति, या उसके मूल्य या उसके ऐसे भाग को जो डिक्री की तुष्टि करने के लिए पर्याप्त हो; और वैसा करने में उसके व्यतिक्रम में मैं स्वयं को, अपने वारिसों एवम् निष्पादकों को...................रुपये की कथित रकम या कथित रकम से अनधिकृत ऐसी रकम जिसका कथित न्यायालय न्यायनिर्णयन कर सके, इसके आदेश के रूप में, कथित न्यायालय को संदाय करने हेतु आबद्ध करूँगा।

**अनुसूची**

में तारीख………………………..में मेरे जन साक्षी.

**(हस्ताक्षर)**

**साक्षीगण**

**1. ………….**

**2. …………..**